



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072022-237287
CG-DL-E-14072022-237287

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504]
No. 504]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2022/आषाढ 22, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2022/ASHADHA 22, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 10/2022-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 562(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 11 की उप-धारा (1) और धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2022-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 237(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " फ्लार्ड ऐश ईटें; फ्लार्ड ऐश समुच्चय; फ्लार्ड ऐश ब्लॉक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]
विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 10/2022-Central Tax (Rate)

G.S.R. 562(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2022-Central Tax (Rate), dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 237(E), dated the 31st March, 2022, namely: -

In the said notification, in Table, against Sl. No. 1, for the entry in column (3), the entry “Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th July, 2022.

[F. No.190354/172/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सं. 10/2022- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 563(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 16 की उप-धारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के खंड (iv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2022- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 239(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " फ्लाई ऐश ईटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/172/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2022

No. 10/2022- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 and clause (iv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2022-Integrated Tax (Rate), dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2022, namely: -

In the said notification, in Table, against Sl. No. 1, for the entry in column (3), the entry “Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks” shall be substituted.